बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा–आमंत्रण

NIT No.-02/2019

बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 की 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ तथा नव वर्ष कैलेण्डर 2020 की 2500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्त्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कभर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति दैनन्दिनी एवं प्रति कैलेण्डर न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें (अलग-अलग लिफाफे में) दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से यथानिर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है ।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 के 06.00 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा सचिवालय के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

निविदा एवं निविदा से संबंधित निर्धारित शर्त्तें बिहार विधान सभा के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर द्रष्टव्य है ।

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा-आमंत्रण

NIT No.- 02/2019

बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 की 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ तथा नव वर्ष कैलेण्डर 2020 की 2500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्त्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कभर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति दैनन्दिनी एवं प्रति कैलेण्डर न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें (अलग-अलग लिफाफे में) दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से यथानिर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है ।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 के 06.00 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा सचिवालय के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्त्तें

1. बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 के एक पृष्ठ पर दो तिथि पंचांग भाग सहित मुद्रित होगी,
2. वर्ष 2020 एवं 2021 की दिन-पत्री के साथ बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 के प्रारंभ में बिहार विधान सभा से संबंधित पाँच रंगीन चित्र, लगभग 64 पृष्ठ कलर तथा इसके उपरान्त लगभग 70 पृष्ठों में विविध सूचनायें मुद्रित होगी,
3. बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 में कागज एवं कभर उच्च कोटि का स्वीकृत नमूना के अनुरूप होगा,
4. नववर्ष कैलेण्डर का साइज - 18" × 23" होगा तथा इसकी कागज की गुणवत्ता एवं बहुरंगी छपाई स्वीकृत नमूना के अनुरूप होगा ।
5. नववर्ष कैलेण्डर कुल 07 पन्नों (07पृष्ठों) का होगा, जिसके ऊपरी भाग में टीन प्लेट माउन्टिंग के साथ टांगने के लिए धागा लगा होगा ।
6. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए ।
7. निविदादाता को निविदा के साथ कागज एवं कभर के विभिन्न रंगों के रेक्सीन का नमूना (फर्म की मोहर / हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कभर पर फर्म का पूरा नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य है,
8. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं सांख्यांकित होना चाहिए,
9. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा, उन्हें उक्त प्रत्येक कार्य के लिए कुल व्यय का 5% राशि की बैंक गारंटी जो दिनांक-31.12.2020 तक वैध हो सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम के पक्ष में सभा सचिवालय को जमा करना होगा जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जायेगा ।
10. सभी पूर्ण रूप से तैयार बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 एवं नव वर्ष कैलेण्डर 2020 की आपूर्ति मुद्रक को दिसम्बर, 2019 के तीसरे सप्ताह तक निश्चित रूप से कर देनी होगी,
11. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2020 एवं नव वर्ष कैलेण्डर 2020 का मुद्रण नहीं होने तथा निर्धारित अवधि के अंदर इसकी आपूर्त्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा,

12. निविदादाता को निविदा के साथ नोटराईज्ड शपथ-पत्र (शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का) संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित होगा कि उनके फर्म/प्रेस को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है ।

13. उपर्युक्त सभी शर्त्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

14. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा ।

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।